प्रेस नोट
*जनपद – संतकबीरनगर *
दिनाँक 20.02.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।*

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा कार और ट्रक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5998 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कोई कोल मगहर से कालर द्वारा कार और ट्रक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01. नितेश सिंह पुत्र बृजेश सिंह 02.यशपाल सिंह पुत्र रमेश निवासी बखिरा खोर थाना खजनी जनपद गोरखपुर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बूलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलालाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गय, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 शशिभानु मणि त्रिपाठी, आ0 मनीष कुमार सिंह, हो0गा0चा0 संजय चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 130 वाहनों से 1,55,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 20.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 130 वाहनों से 1,55,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 7500 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 20.02.2026 को माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 7500 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री रामफेर पुत्र श्रीराम केवट निवासी पैतवलिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 26.12.2009 को तहरीर दिया गया कि पुरानी जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तगण 01. मुन्ना पुत्र रामदेव, 02. सरिता पत्नी बलिराम 03. कोसा पत्नी मुन्ना निवासीगण पैतवलिया थाना धनघटा के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने तहरीर के आधार पर थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 407/2009 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 3323/504/506 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2500-2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।